बीस रुपये COURT FEE भारत INDIA Rs.20 TWENTY RUPEES

दस रुपये COURT FEE भारत INDIA Rs.10 TEN RUPEES

श्री .... द्वारा आज दि. 14.10.15 को प्रस्तुत

14.10.15

राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

न्यायालय श्रीमान सदस्य महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर म0प्र0

प्रकरणं कमांक 3330-PBR/15

श्यामसुन्दर पुत्र ग्यारसीराम जाति नाथ निवासी ग्राम सानई तहसील कुम्भराज जिला गुना म0प्र0

——————आवेदक/निगरानीकर्ता

विपरीत

म0प्र0राज्य शासन द्वारा पटवारी ग्राम सानई तहसील कुम्भराज जिला गुना म0प्र0

——————अनावेदक/प्रति निगरानीकर्ता

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0 संहिता 1959।

निगरानी विरूद्ध श्रीमान एस.डी.ओ. महोदय चाचौड़ा के प्रकरण कमांक 13अ 68/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 08–10–15 से व्यथित होकर।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 3330–पीबीआर/2015 जिला गुना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15–10–2015	उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 8–10–2015 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 18–9–15 को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर संहिता की धारा 162 एवं 248 में संशोधन होना दर्शाते हुये आपत्ति प्रस्तुत की गई है, जबकि दिनांक 11–7–2013 को संहिता में कोई संशोधन नहीं हुआ है, बल्कि केवल बिल पेश हुआ है, इस कारण अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त करने में प्रथमदृष्टया विधिसंगत कार्यवाही की गई है, इसलिये उनका आदेश हस्तक्षेप योग्य नहीं है । अतः यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	